

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

मुकदमा नं. 20/2024

दिनांक 21/11/2024

ख  
इस  
तिल  
ए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

31/12/24 वाद प्रथिनापत्र बाद जौच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जाये। पत्रावली दिनांक 14/11/25  
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, करेड़ा

14/11/25 पत्रावली पेश हुई अविभाज्यगण द्वारा  
व्यापक जय्य प्रमाण बहिष्कार रक्षण  
पत्रावली 26/11/25 पेश हो।

26/11/25 उपखण्ड अधिकारी करेड़ा  
सहायक कलक्टर करेड़ा  
उक्त कार्य को अविभाज्य अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 26/11/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी करेड़ा

23/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील डिडीडाए  
उपरोक्त प्रकरण में वकील डिडीडाए ने ध्यान  
दिवा कि उक्त प्रकरण में नरहीलडाए  
कोर्ट से इजाजत की प्राप्तता हो  
सुनी है किन कारण इतर प्रकरण  
में अब आगे प्रसादा जाये कि  
कोर्ट कोनित्त नही है वकील डिडीडाए  
हम उक्त प्रकरण में अब कोर्ट कार्यवाही  
नही पावते से प्रकरण की कार्यवाही  
इसके लिए प्रसादा की जाती है पत्रावली  
के साथ प्रमाण पत्र उक्त नरहील से प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी करेड़ा  
सहायक कलक्टर करेड़ा